

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी-

रामरतन सौंकरिया

आर.ए.एस.

मिसल नम्बर

तारीख दायरा

तारीख निर्णय

34 / 2025 / प्रा.पत्र / 2025

15.05.2025

21.11.2025

जीसीएमएस नं0 110 / 2025

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा व औषधि नियंत्रण टोंक राज0।

.....प्रार्थी

बनाम

- 1-श्री गोपाल लाल मंगल पुत्र श्री ताराचन्द मंगल निवासी महाजन मोहल्ला देवली जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स ताराचन्द गोपाल लाल सदर बाजार देवली जिला टोंक। पिनकोड-304804 मोबाईल नं.-9462047845
- 2-मैसर्स ताराचन्द गोपाल लाल सदर बाजार देवली जिला टोंक। पिनकोड-304804
- 3-श्री राजीव जैन पुत्र श्री मदन लाल जैन निवासी आर्य समाज रोड मदन जी चक्की वाले रामपुरा लाडपुरा कोटा राज0 प्रोपरायटर मैसर्स माधव डिपो 26-ए आर्य समाज रोड रामपुरा कोटा। पिनकोड-324006
- 4-मैसर्स माधव डिपो 26-ए आर्य समाज रोड रामपुरा कोटा। पिनकोड-324006

.....अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii), (v) एवं दण्डनीय धारा 51 व 58 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित-

- 1-पेरोकार सरकार।
- 2-अभिभाषक अप्रार्थीगण श्री सुनील कुमार गूर्जर उपस्थित।

:निर्णय:-

दिनांक 21/11/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 16.10.2024 को समय 4:30 पी.एम. पर मैसर्स ताराचन्द गोपाल लाल सदर बाजार देवली जिला टोंक पर पहुंचा। वहाँ पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से श्री गोपाल लाल मंगल पुत्र श्री ताराचन्द मंगल अपने प्रतिष्ठान मैसर्स ताराचन्द गोपाल लाल सदर बाजार देवली जिला टोंक पर खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री गोपाल लाल मंगल पुत्र श्री ताराचन्द मंगल को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री गोपाल लाल मंगल पुत्र श्री ताराचन्द मंगल ने स्वयं को प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया तथा मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में तेल, घी, मसाले के साथ-साथ दुकान की रैंक में 1-1 लीटर पैक के लगभग 6-7 नग मूल पैक पैकड अवरथा में घी (एस.के.सरस गोल्ड ब्राण्ड) रखा हुआ था। घी (एस.के.सरस गोल्ड ब्राण्ड) का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर विक्रेता श्री गोपाल लाल मंगल पुत्र श्री ताराचन्द मंगल को गवाह के सामने फार्म नं0 5ए



Adl
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

में वास्ते नमूना जांच क्य करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की जिस पर खाद्य कारोबारकर्ता श्री गोपाल लाल मंगल पुत्र श्री ताराचन्द मंगल के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को सुपुर्द कर बताकर कि यह घी (एस.के. सरस गोल्ड ब्राण्ड) दुकान की रैंक में 1-1 लीटर के लगभग 6-7 मूल पैक पैकड अवस्था में से घी (एस.के.सरस गोल्ड ब्राण्ड) के बैंच नम्बर डी-2 एवं पैकिंग की दिनांक जनवरी-2024 थी, को ज्यों का त्यों पैकड अवस्था में 1 लीटर पैक का 1 मूल पैक वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा घी (एस.के.सरस गोल्ड ब्राण्ड) की खरीदशुदा 1 मूल पैक को खोलकर प्लास्टिक की 4 चार साफ व सूखी शिशियों में प्रत्येक शिशी में 250-250 एम.एल. भरकर, शिशियों के ढक्कन को नियमानुसार अच्छी तरह एयरटाईट कर लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया और प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई-4174 दर्ज कर, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई-4174 नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया एवं मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।


आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री गोपाल लाल मंगल पुत्र श्री ताराचन्द मंगल मैसर्स ताराचन्द गोपाल लाल सदर बाजार देवली जिला ने बतौर वारन्टी मैसर्स माधव डिपो 26-ए आर्य समाज रोड रामपुरा कोटा का खरीद बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्य करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2024/1465 दिनांक 18.11.2024 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एलएस/4202/एक्ट/2024/4077 दिनांक 28.10.2024 के अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच क्य किया गया घी (एस.के.सरस गोल्ड ब्राण्ड) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 3(1)(ZX) के अनुसार अवमानक (Sub-Standard) व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 के रेगुलेशन (विक्रय प्रतिषेध एवं निर्बधन) नं. 2.3.7(2) के अनुसार कॉन्ट्रावेन (Contravene) स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभिभाषक अप्रार्थीगण श्री सुनील कुमार गूर्जर उपस्थित हुये एवं निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट नहीं की गई है। यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी




अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

मानकों को पूरा करता है। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निरस्तारण किया जावे।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस घी (एस.के.सरस गोल्ड ब्राण्ड) का विक्रय कर रहे थे, वह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के मानकों को पूरा नहीं करता है। उक्त घी (एस.के.सरस गोल्ड ब्राण्ड) जांच में कॉन्ट्रावेन (Contravene) व अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 58 (सहपठित धारा 49) में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस को सुना एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया घी (एस.के.सरस गोल्ड ब्राण्ड) का नमूना जांच में कॉन्ट्रावेन (Contravene) व अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii), (v) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 व 58 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रुपये 1,50,000/- (अक्षरे एक लाख पचास हजार रुपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर अनिवार्य रूप से जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावे। प्रकरण में जब्तशुदा नमूने को अपील की अवधि व्यतीत होने के पश्चात नियमानुसार नष्ट कर दिया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21/11/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



(Signature)
(रामरतन सोकरिया)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक-राज0